AADHAAR

HINDUSTAN, Delhi, 9.12.2017

Page No. 15, Size:(8.77)cms X (9.91)cms.

पैन कार्ड को आधार से 31 मार्च तक जोड़ सकेंगे

नई दिल्ली | **विशेष संवाददाता**

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को आयकर पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दिया है। सरकार ने अंतिम तिथि को तीसरी बार तीन माह के लिए बढ़ाया है।

सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने गुरुवार को कहा था कि वह विभिन्न सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 मार्च तक करने के लिए वह तैयार है। हालांकि अभी सिर्फ पैन से आधार जोड़ने की अंतिम तिथि को बढ़ाया गया है जबकि मोबाइल-आधार लिंक को छोड़कर बैंक, बीमा, म्यूच्यूअल फंड समेत अन्य सेवाओं की अंतिम तिथि 31 दिसंबर ही है। माना जा रहा है कि इन सेवाओं की तिथि को भी बढ़ाया जाएगा। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान इस पर जारी नहीं किया गया है।

33 करोड़ पैन धारकों में से 13.28 करोड़ ने नवंबर तक पैन को आधार से जोड़ा

139 एए (2) के तहत 1 जुलाई 2017 तक बने पैन नंबर की जानकारी देना जरूरी

31 दिसंबर-2017 तक अगस्त में पैन को आधार से जोड़ने की तारीख बढ़ाई थी

● (नोट : इस साल, सरकार ने आयकर दाखिल करने के साथ नए पैन नंबर प्राप्त करने के लिए आधार को अनिवार्य घोषित कर दिया है।)